क्रम संख्या–65 पंजीकरण संख्या–यू0ए0/डी0ओ0/डी0डी0एन0/30/2015–17

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, बुधवार, 06 अप्रैल, 2016 ई0
चैत्र 17, 1938 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 133/XXXVI(3)/2016/25(1)/2016

देहरादून, 06 अप्रैल, 2016

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन महामहिम राज्यपाल ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित **'उत्तराखण्ड राज्य महिला आयोग (संशोधन) विधेयक, 2016',** पर दिनांक 02 अप्रैल, 2016 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड का अधिनियम संख्या 09 वर्ष, 2016 के रूप में सर्व–साधारण को सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तराखण्ड राज्य महिला आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2016

(उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 09 वर्ष, 2016)

उत्तराखण्ड राज्य महिला आयोग अधिनियम, 2005 में अग्रेत्तर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में उत्तराखण्ड राज्य विधानसभा द्वारा निम्नलिखित रूप में अधिनियमित होः–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड राज्य महिला आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2016 है।
(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

धारा 3 की उपधारा (2) के खण्ड (ख) के परन्तुक का प्रतिस्थापन

2. उत्तराखण्ड राज्य महिला आयोग अधिनियम, 2005 की धारा 3 (2) (ख) का परन्तुक निम्नवत प्रतिस्थापित कर दिया जायेगा; अर्थात्–
"परन्तु राज्य सरकार जनहित में आवश्यकतानुसार उपरोक्त नाम निर्दिष्ट दो उपाध्यक्षों के अतिरिक्त एक अन्य उपाध्यक्ष जो सामान्य श्रेणी का होगा परन्तु विशेष परिस्थितियों में राज्य सरकार शैक्षिक योग्यताओं में शिथिलीकरण के साथ नियुक्त कर सकेगी।"

आज्ञा से,

जय देव सिंह,
प्रमुख सचिव।

No. 133/XXXVI(3)/2016/25(1)/2016
Dated Dehradun , April 06, 2016

NOTIFICATION

Miscellaneous

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the

following English translation of **'the Uttarakhand State Commission for Women (Amendment) Bill, 2016'** (Adhiniyam Sankhya 09 of 2016).

As Passed by the Uttarakhand Legislative Assembly and assented to by the Governor on 02 April, 2016.

THE UTTARAKHAND STATE COMMISSION FOR WOMEN (AMENDMENT) ACT, 2016

(Uttarakhand Act no. 09 of 2016)

To further Amend the Uttarakhand State Commission for Women Act, 2005

An

Act

Be it enacted by the Uttarakhand State Legislative Assembly in the Sixty-seventh year of the Republic of India as fallows.

Short title and commencement	1.	(1) This Act may be called the Uttarakhand State Commission for women (Amendment) Act, 2016. (2) It shall come into force at once.
Substitution of Proviso part II of sub section (2) of Section 3	2.	Proviso of the Clause(b) of sub section (2) of Section 3 of the Uttarakhand State Commission for women Act, 2005 shall be substituted as follows; namely:- " Provided that the State Government in Public interest as per requirement in addition of two vice president shall be appoint in one vice president who shall be general category & for Specifice ground there is a relaxation in regard of educational qualification only given by the State Government.

By Order,

JAI DEO SINGH,
Principal Secretary.

361/16

उद्देश्य एवं कारणों का कथन

उत्तराखण्ड राज्य महिला आयोग अधिनियम, 2005 की धारा 3 (2) (ख) में प्रतिस्थापित करते हुए राज्य सरकार आवश्यकतानुसार उपरोक्त नाम निर्दिष्ट दो उपाध्यक्षों के अतिरिक्त एक अन्य उपाध्यक्ष जो सामान्य श्रेणी का होगा परन्तु विशेष परिस्थितियों में राज्य सरकार शैक्षिक योग्यताओं में शिथिलीकरण के साथ नियुक्ति किये जाने हेतु प्रस्तावित उत्तराखण्ड राज्य महिला आयोग (संशोधन) विधेयक, 2016 को अधिनियमित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

2— प्रस्तावित विधेयक उपरोक्त उद्देश्य की पूर्ति करता है।

हरीश रावत,
मुख्यमंत्री।

पी०एस०यू० (आर०ई०) 16 विधायी / 198—2016—100+500 (कम्प्यूटर / रीजियो)।